कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ परीक्षा संस्थान, इन्दौर

पाठ्यक्रम एवं नियमावली

(1) श्री दिगम्बर जैन उदासीन आश्रम ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ, इन्दौर का एकप्रकल्प होने से इस परीक्षा संस्थान का नाम **कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ परीक्षा संस्थान** रहेगा।

(2) इस परीक्षा संस्थान का उद्देश्य भारतीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत एवं स्वध्यायी छात्र/छात्राओं की परीक्षा लेना व उसमें उतीर्ण छात्र / छात्राओं को उत्तीर्ण पत्र, प्रमाण–पत्र और उपाधि वितरण करना है।

(3) इस संस्थान द्वारा अंग्रेजी (बालबोध पहला भाग से गो.जीवकाण्ड तक ग्रंथस:) एवं संस्कृत (प्रवेशिका, विशारद, शास्त्री एवं रत्न परीक्षा) विभागीय परीक्षायें अलग–अलग संचालित की जाती है। सायंकालीन पाठशालाओं एवं शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में संचालित होने वाली कक्षाओं तथा बालबोध भाग 1–4, नैतिक शिक्षा भाग 1–7 आदि की परीक्षा अंग्रेजी विभागीय परीक्षाओं के अन्तर्गत ली जाती है, जिसमें बालबोध भाग 1–3 तक की परीक्षा मौखिक एवं बालबोध भाग–4 से जीवकाण्ड तक की परीक्षायें लिखित आयोजित की जाती है। संस्कृत विभागीय परीक्षाओं के अन्तर्गत प्रवेशिका के 3 खंड, विशारद के 3 खंड, शास्त्री के 3 खंड और रत्न परीक्षा के 2 खंड रहेंगे। उपदेशक परीक्षा 2 वर्ष तथा प्रतिष्ठारत्न परीक्षा 2 वर्ष में ली जाएगी। ये सभी परीक्षाएँ लिखित होंगी।

(4) रत्न, उपदेशक एवं प्रतिष्ठा संबंधी परीक्षाओं का केन्द्र परीक्षा संस्थान द्वारा नियुक्त किया जाएगा, शेष परीक्षाएँ शिक्षा

(5) प्रवेशिका, विशारद और शास्त्री परीक्षाएँ खंडश: ली जाएंगी, किंतु इनमें सांस्कृतिक या सिद्धान्त विषय की परीक्षाएँ ग्रंथश: भी ली जा सकेंगी।

(6) परीक्षा फार्म परीक्षा संस्थान कार्यालय से मिलेंगे जिन्हें 15 नवम्बर से पूर्व मंगा लेना चाहिए, पश्चात् उन्हें पूर्ण व स्पष्ट भरकर 30 नवम्बर के पूर्व भेज देना होगा, पश्चात् पाँच रुपये विलम्ब शुल्क के साथ स्वीकृत हो सकेंगे। परीक्षा से 15 दिन पूर्व अप्रविष्ट परीक्षार्थी दुगुना शुल्क देकर परीक्षाधिकारी की अनुमति लेकर सम्मिलित हो सकेगा।

(7) समस्त परीक्षाएँ नीचे के खंडों से ऊपर तक क्रमश: होंगी। एक साथ दो खंडों की परीक्षा देने पर नीचे के खंड में अनुत्तीर्ण छात्र / छात्रा ऊपर के खंड में उत्तीर्ण होने पर भी अनुत्तीर्ण समझे जाएँगे।

(8) अंग्रेजी विभागीय वार्षिक परीक्ष जनवरी के अन्तिम या फरवरी के प्रथम / द्वितीय सप्ताह में एवं संस्कृत विभागीय परीक्षा मार्च के द्वितीय / तृतीय सप्ताह में हुआ करेंगी। परिस्थिति अनुसार इसमें परिवर्तन भी होता रहेगा।

(9) स्वाध्यायी छात्र जिस केन्द्र से परीक्षा देना चाहेंगे उस केन्द्र के अध्यक्ष की स्वीकृति से सम्मिलित हो सकेंगे, जो उनकी योग्यता की जाँच कर अपने यहाँ उनके लिए प्रश्न पत्र आदि मँगाने की व्यवस्था करेंगे।

(10) किसी भी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र इन्दौर (म.प्र.) रहेगा।